



वाणिज्य अ.ज.-499

# अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./उप.मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/फा.-57 टी/2012/प्रे.3268 दिनांक 20.09.12

## आदेश

विषय:-राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13(1)प्र0सं0/सन0/अनु-1/2012/पार्ट-1 जयपुर दिनांक 18.07.2012 के अनुसार "राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 को दिनांक 01 अगस्त, 2012 से राज्य में प्रवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अधिनियम, अधिनियम की धारा-3 के तहत सुनवाई स्तर एवं सुनवाई अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी पुनरीक्षण अधिकारी, 15 दिवस सुनवाई की नियत समय सीमा और परिवाद पर लिये गये निर्णय की संसूचना परिवादी को दिये जाने हेतु 7 दिवस की समय सीमा नियत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2012 के गजट में प्रकाशित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रथम अपील के निस्तारण हेतु अधिकतम 21 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करवाई जा चुकी है।"


अधिनियम प्रयोजना के संचालन हेतु नियम भी दिनांक 7 जून 2012 के गजट में प्रकाशित कर जारी कर दिये गये हैं। उक्त सभी अधिसूचनाएं, अधिनियम, नियम एवं फार्म आदि राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर भी जारी कर दिये गये हैं। आवश्यकता अनुसार इनकी प्रतियां राजस्थान सरकार की वेबसाइट [www.rajasthan.gov.in](http://www.rajasthan.gov.in) <http://www.ard.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार की वेबसाइट से अधिनियम, नियम एवं संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां प्राप्त कर अधिनियम की प्रभावी रूप से क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(जी.आर. चौधरी)

उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर/झुंझनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम.....को अतिरिक्त.....  
प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
- ✓ 6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम,  
अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस, (रिटल), जयपुर।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रुद्राक्ष एनर्जी, जयपुर।
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव (Honorary), जयपुर।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं टस्ट सोसाइटी, जयपुर।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता,( ), अजमेर डिस्कॉम.....
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अजमेर डिस्कॉम.....
17. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)